संख्या-32/2024/1449/002-78-01099-294-2022

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 27 सितम्बर, 2024

विषय:- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के विभागीय प्रचार-प्रसार कार्यकलापों हेतु पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी: आईसीपी:9064 (2024-25), दिनांक 16 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0टी0 एवं इले0 विभाग द्वारा और उसकी ओर से विभिन्न आयोजनों में प्रतिभाग एवं अन्य प्रसार-प्रचार कार्यकलापों से संबंधित भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य, 800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रूपये चार सौ लाख मात्र) के सापेक्ष संभावित बचतों में से रू0 300.00 लाख (रूपये तीन सौ लाख मात्र), को लेखाशीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार 60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतिकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार 42-अन्य व्यय मद' में संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र(प्रति संलग्न) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम में प्राविधानित किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख (रूपये तीन सौ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्निलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य राज्य समन्वयक, सीईजी/ प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग इस वित्तीय वर्ष में नहीं की जायेगी।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। इसके इतर व्यय किया जाना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(9) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा धनराशि से संबंधित आंकड़ो की शुद्धता प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी सुनिश्चित करेंगे।

(12) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व उ0प्र0 बजट मैनुअल, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2220608000300 व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-.32/2024/1449(1)/002-78-01099-294-2022तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त् निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4, उ0प्र0, शासन।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग-अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/ आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20242025-78-01099-294-2022

विषय:- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के विभागीय प्रचार-प्रसार कार्यकलापों हेतु पुनर्विनियोग द्वारा धनराशि स्वीकृत के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2852808001100 (उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान)	42 (अन्य व्यय)	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
007	2220608000300 (व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग / प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार)	42 (अन्य व्यय)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल				₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

नोट:-

(1) बचत/अतिरिक्त व्यय का कारण निम्नानुसार है:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-11-उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान-42-अन्य व्यय मद के अन्तर्गत 300.00 लाख की संभावित बचत प्रश्नगत मद में मांग सृजित न होने की संभावना के दृष्टिगत है एवं लेखा शीर्ष 2220-सूचना तथा प्रचार 60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतिकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार 42-अन्य व्यय मद में विभागीय प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापो के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू0 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-49-E-6-77-X-2024-25-दिनांक:03-09-2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

नेहा जैन
विशेष सचिव

शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव

संख्या: 1348/78-1-2024 / , दिनांक- 05 सितंबर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)।
2. मुख्यक/वरिष्ठय कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. निदेशक वित्ती य सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।
4. वित्तक (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

नेहा जैन
विशेष सचिव